संख्या-982/78-1-2016-25/2012टीसी-8

प्रेषक,

राजेन्द्र कुमार तिवारी,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन ।

2- समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश शासन।

आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-1 लखनऊ:दिनांक: 19 अगस्त, 2016

विषयः उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवॅ स्टार्ट-अप नीति-2016 के बिन्दु 3.3.1.5 "रोजगार सृजन हेतु कर्मचारी भविष्य निधि पर अनुदान" के सम्बन्ध में।

महोदय,

आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन के आदेश संख्या-449/78-1-2016-25/2012 दिनांक 06 अप्रैल 2016 द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी नीति उ0प्र0-2012 को पुनरीक्षित करते हुए उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवॅ स्टार्ट अप नीति-2016 प्रख्यापित की गई है। यह नीति अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से 05 वर्षों की अवधि के लिए मान्य है तथा सूचना प्रौद्योगिकी नीति उ0प्र0-2012 को अवक्रमित करती है।

2- उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवॅ स्टार्ट-अप नीति-2016 के प्रस्तर संख्या-3.3.1.5 "रोजगार सृजन हेतु कर्मचारी भविष्य निधि पर अनुदान" में निम्नवत् व्यवस्था की गई हैः-

3.3.1.5 रोजगार सृजन हेतु कर्मचारी भविष्य निधि पर अनुदान

परिचालन आरम्भ होने के पश्चात, उत्तर प्रदेश के मूल निवासी एवॅ निरन्तर एक वर्ष तक रोजगार में रहे सूचना प्रौद्योगिकी/सू0प्रौ0 जनित सेवा क्षेत्र के कार्यरत पेशेवरों (professionals) के लिए अदा की गई कुल भविष्य निधि धनराशि की 5 वर्षों तक शत प्रतिशत प्रतिपूर्ति, जिसकी अधिकतम सीमा रू0 20.00/- (रूपये बीस लाख) प्रतिवर्ष प्रति इकाई होगी।

3- उपरोक्त हेतु पात्र इकाइयों को कर्मचारी भविष्य निधि अनुदान प्रदान किये जाने की कार्यवाही निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन की जायेगीः-

3.1 आच्छादन।

सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश।

3.2 परिभाषायें

एतदद्वारा संलग्न, अनुलग्नक-स के अनुसार।

3.3 प्रोत्साहन का विवरण।

3.3.1 सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग/सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवाओं सम्बन्धी ऐसी इकाईयां जिनके द्वारा उत्तर प्रदेश के मूल निवासी सूचना प्रौद्योगिकी/सू0प्रौ0 जनित सेवा क्षेत्र के कार्यरत पेशेवरों (professionals) को रोजगार दिया गया हो और जो निरन्तर एक वर्ष तक रोजगार में रहे हों।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3.3.2 सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग/सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवा उद्योग क्षेत्र की इकाईयों को, उनके द्वारा परिचालन आरम्भ करने के पश्चात भुगतान की गई कर्मचारी भविष्य निधि धनराशि की शत-प्रतिशत प्रतिपूर्ति की जायेगी।

3.3.3 इस प्रोत्साहन/अनुदान धनराशि की अधिकतम सीमा रू0 20.00/- (रूपये बीस लाख मात्र) प्रति वर्ष प्रति इकाई होगी।

3.3.4 यह प्रतिपूर्ति उत्तर प्रदेश के मूल निवासी एवँ निरन्तर एक वर्ष तक एक ही इकाई में रोजगार में रहे सूचना प्रौद्योगिकी/सू0प्रौ0 जनित सेवा क्षेत्र के कार्यरत पेशेवरों (professionals) के लिए अदा की गई भविष्य निधि धनराशि के सापेक्ष की जायेगी।

3.3.5 उक्त प्रोत्साहन/अनुदान शासनादेश के निर्गत होने की तिथि से 31 मार्च 2020 को समाप्त होने वाली अवधि के अन्दर, इकाई द्वारा व्यावसायिक कार्यकलाप प्रारम्भ की तिथि से 5 वर्ष तक प्रदान किया जायेगा।

3.3.6 इस योजना का लाभ उन्हीं इकाइयों को अनुमन्य होगा जिन्होंने भारत सरकार, राज्य सरकार अथवा अन्य राज्य सरकार की किसी अन्य योजना के अन्तर्गत इस प्रकार की किसी छूट या अनुदान का लाभ न लिया हो।

3.3.7 जिन इकाइयों को केस-टू-केस आधार पर वित्तीय प्रोत्साहन स्वीकृत किया जायेगा, उन्हें कर्मचारी भविष्य निधि अनुदान की प्रतिपूर्ति सम्बन्धित शासनादेश के अनुसार अनुमन्य होगी।

3.4 <u>प्रोत्साहन की स्वीकृति एवं उसके वितरण की प्रक्रिया</u>

3.4.1 आवेदक इकाई द्वारा आवेदन पत्र कार्यदायी संस्था (यूपीएलसी) को निर्धारित प्रारूप (अनुलग्नक-अ) पर प्रस्तुत किया जायेगा जिसका परीक्षण कार्यदायी संस्था (यूपीएलसी) द्वारा किया जायेगा। यह कार्यवाही यथा-सम्भव आवेदन पत्र प्राप्त होने की तिथि से एक माह के अन्दर पूर्ण कर ली जायेगी।

3.4.2 इकाई द्वारा ई.पी.एफ. के पक्ष में जमा किये गये अंशदान का पूर्ण विवरण, तथा उत्तर प्रदेश के मूल निवासी सूचना प्रौद्योगिकी/ सू0प्रौ0 जनित सेवा क्षेत्र के कार्यरत पेशेवरों (professionals) की सूची सहित, जिसे सम्बन्धित क्षेत्रीय ई.पी.एफ. कार्यालय के सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया गया हो और जिसमें कर्मियों का यूनीवर्सल खाता संख्या (यू0ए0एन0) प्रदर्शित किया गया हो।

अथवा

यदि इकाई द्वारा ई.पी.एफ. ट्रस्ट की स्थापना की गयी है तो इकाई द्वारा ई.पी.एफ. के पक्ष में जमा किये गये अंशदान का पूर्ण विवरण जिसे सम्बन्धित सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया गया हो और जिसमें उत्तर प्रदेश के मूल निवासी सूचना प्रौद्योगिकी/सू0प्रौ0 जनित सेवा क्षेत्र के कार्यरत पेशेवरों (professionals) का यूनीवर्सल खाता संख्या (यू0ए0एन0) प्रदर्शित किया गया हो।

3.4.3 इकाई द्वारा आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों में दी गयी सूचना अपूर्ण होने की स्थिति में कार्यदायी संस्था (यूपीएलसी) द्वारा इकाई से स्थिति स्पष्ट करायी जा सकती है अथवा अतिरिक्त

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

सूचनाओं/विवरण की मांग की जा सकती है। कार्यदायी संस्था (यूपीएलसी) द्वारा मांगे गये स्पष्टीकरण व अतिरिक्त अभिलेखों आदि को निर्धारित अवधि के अन्दर प्रस्तुत करना होगा।

3.4.4 इकाई द्वारा प्रस्तुत आवेदन के परीक्षण/सत्यापन के उपरान्त इकाई को भविष्य निधि धनराशि की प्रतिपूर्ति अनुमन्य कराने के सम्बन्ध में अपनी संस्तुति उत्तर प्रदेश सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के प्रमुख सचिव की अध्यक्षता वाली नीति कार्यान्वयन इकाई के विचारार्थ एवं निर्णय हेतु प्रस्तुत की जायेगी जिसके द्वारा उपयुक्त निर्णय लिया जायेगा।

3.4.5 सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त इकाई को भविष्य निधि धनराशि की प्रतिपूर्ति विषयक आदेश निर्गत किया जायेगा। इकाई को स्वीकृत धनराशि एवं तत्सम्बन्धी नियमों एवं शर्तों से अवगत कराया जायेगा।

3.4.6 यह अनुदान इकाई को प्रत्येक विगत वित्तीय वर्ष के लिए कर्मचारियों के भविष्य निधि खाते में जमा कराई गई धनराशि के लिए अनुमन्य होगा तथा कर्मचारी भविष्य निधि अनुदान की प्रतिपूर्ति हेतु इकाई द्वारा आवश्यक दस्तावेजों सहित, 01 अप्रैल से 30 जून की अवधि में आवेदन प्रस्तुत किया जाना होगा।

3.5 न्यायालय का क्षेत्राधिकार।

किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में लखनऊ स्थित न्यायालयों में ही वाद दायर किया जा सकेगा।

3.6 व्यय भार।

भविष्य निधि धनराशि की प्रतिपूर्ति के भुगतान में आने वाले सभी व्यय जिसमें आवश्यकतानुसार विधिक विलेख निष्पादित करने में आने वाले व्यय, स्टैम्प शुल्क, अधिवक्ता, सालिस्टर शुल्क व अन्य आनुसंगिक व्यय शामिल हैं, पात्र इकाई के द्वारा देय होगा।

3.7 कर्मचारी भविष्य निधि पर अनुदान निरस्तीकरण हेतु मानदण्ड।

इकाई द्वारा प्राप्त किये गये लाभों के उपरान्त यदि किसी समय यह पाया जाता है कि इकाई द्वारा दी गयी सूचनायें गलत हैं, अथवा तथ्यों को छुपाकर गलत आंकड़ों/अभिलेखों के आधार पर छूट/प्रतिपूर्ति प्राप्त की गयी है तो उपलब्ध करायी गई धनराशि 15 प्रतिशत ब्याज सहित वसूल की जायेगी तथा धनराशि वापस न करने पर यह धनराशि भू-राजस्व बकाये के रूप में वसूल की जायेगी, साथ ही इकाई के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही भी अमल में लायी जायेगी।

भवदीय,

(राजेन्द्र कुमार तिवारी)
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://snasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

<u>सँख्या-982/(1)/78-1-2016 तद्दिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, मा० मुख्यमंत्री उ०प्र०।

2- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन।

3- कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।

4- अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ०प्र०।

5- प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ०प्र० शासन।

6- प्रमुख सचिव, व्यापार कर विभाग, उ०प्र० शासन।

7- प्रमुख सचिव, कर एवं निबंधन विभाग, उ०प्र० शासन।

8- प्रमुख सचिव, श्रम विभाग, उ०प्र० शासन।

9- कार्यकारी निदेशक, उद्योग बन्धु, लखनऊ।

10- निदेशक, उद्योग, कानपुर, उत्तर प्रदेश।

11- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उ०प्र० शासन।

12- निजी सचिव, विशेष सचिव(भू/एन), आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उ०प्र० शासन।

13- प्रबन्ध निदेशक, यूपीएलसी/यूपीडेस्को/अपट्रान इण्डिया लि०/अपट्रान पावरट्रानिक्स लि०/श्रीट्रान इण्डिया लि०, लखनऊ।

14- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(हरीराम)

अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवॅ स्टार्ट–अप नीति–2016 के अन्तर्गत प्रोत्साहन के लिए आवरण–पत्र
(कम्पनी के लेटर पैड पर)

सेवा में,

कार्यदायी संस्था (यूपी इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड)
आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ

विषयः ''उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवॅ स्टार्ट–अप नीति–2016'' के बिन्दु 3.3.1.5 ''रोजगार सृजन हेतु कर्मचारी भविष्य निधि पर अनुदान'' के अन्तर्गत प्रोत्साहन की मॉग

महोदय,

उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवॅ स्टार्ट–अप नीति–2016 और तत्सम्बन्धी शासनादेशों के परीक्षणोंपरान्त हम, अधोहस्तक्षरी, एतद्द्वारा अपना आवेदन–पत्र (अनुलग्नक–अ) संलग्न करते हुए उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवॅ स्टार्ट–अप नीति–2016 में वर्णित प्रोत्साहन प्रदान किये जाने की मॉग करते हैं।

हम पुष्टि करते हैं कि विभाग को प्रस्तुत किये जा रहे अनुलग्नकों, वित्तीय प्रलेखों, घोषणाओं, प्रमाणन, प्रदर्शों एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों के साथ–साथ आवेदन–पत्र अथवा उसके किसी भाग में निहित सभी सूचनायें सत्य, सही एवं परिपूर्ण हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि इसमें निहित कथन किसी महत्वपूर्ण तथ्य के प्रति विभाग को पूर्णतः अथवा अंशतः भ्रमित नहीं करते, इस आवेदन में समस्त आवश्यक सूचनायें समाविष्ट हैं।

हम एतद्द्वारा पुष्टि करते हैं कि हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, इसके पूर्व दी गई सूचनायें और अन्य संलग्न पत्रादि सभी प्रकार से सत्य और सहीं हैं। हम वचनबद्ध हैं कि राज्य सरकार की अन्य किसी योजना के अन्तर्गत आवेदक द्वारा इस प्रकार के अन्तर्गत प्रोत्साहन की मांग न तो पहले की गई है और न ही प्राप्त किया गया है। हम पुनः यथा आवश्यकता, विवरणों को अभिलेखीय साक्ष्य द्वारा प्रमाणित करने का वचन देते हैं।

हम सहमत हैं कि हमारे आवेदन को बिना कोई कारण बताये निरस्त करने का आपके विवेकाधीन पूर्णाधिकार है।

हम एतद्द्वारा पुष्टि करते हैं कि हमें अपने निगम/कम्पनी/फर्म/संगठन की ओर से कार्यवाही करने तथा इस दस्तावेज एवं ऐसे अन्य दस्तावेजों को, जोकि इस सम्बन्ध में आवश्यक हो, को हस्ताक्षरित करने का अधिकार है।

स्थानः
तिथिः

स्वामी/ साझेदार/प्रबन्ध निदेशक/निदेशक के हस्ताक्षर
एवं मुहर

आवदेन–पत्र

(1)	**इकाई का विवरण**	
a.)	नाम	
b.)	प्रबन्ध निदेशक / प्रबन्धन साझीदार / स्वामी / मुख्य कार्यकारी अधिकारी का नाम एवं पदनाम	
c.)	इकाई का पता	
d.)	दूरभाष नं0	
e.)	सम्पर्क किये जाने वाले व्यक्ति का मोबाइल नॅ0	
f.)	फैक्स नॅ0	
g.)	ई–मेल	
h.)	वेबसाइट	
i.)	पंजीयन प्रमाण–पत्र संख्या	
j.)	सर्विस टैक्स पॅजीयन सं0	
k.)	परमानेन्ट एकाउण्ट सं0 (PAN)	
l.)	परियोजना की स्थापना द्वारा व्यवसाय प्रारम्भ की तिथि कार्यकलाप	
(2)	**संगठन का संविधान**	स्वामित्व वाली ☐ साझेदारी ☐ प्राइवेट लिमिटेड ☐ सहकारी ☐ सार्वजनिक ☐ समिति ☐
(3)	**व्यवसाय प्रारम्भ की तिथि**	
(4)	**इकाई द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि भुगतान का विवरण**	
(5)	**दावा किये गये प्रोत्साहनों का विवरण**	

	वर्ष	वित्तीय वर्ष	धनराशि
	1		
	2		
	3		
	4		
	5		

(6)	**आवेदन के साथ संलग्न किये जाने वाले अभिलेख**		
a.)	व्यवसायिक कार्यकलाप प्रारम्भ होने के सम्बन्ध में चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट का प्रमाण–पत्र	हॉ ☐	नहीं ☐
b.)	जिन कर्मियों के लिए भविष्य निधि अनुदान की मॉग की जा रही है, उनका उत्तर प्रदेश राज्य का मूल निवासी होने के प्रमाण–पत्र की प्रति	हॉ ☐	नहीं ☐

c.)	पंजीयन प्रमाण–पत्र की प्रति	हाँ		नहीं	
d.)	सर्विस टैक्स पंजीयन प्रमाण–पत्र की प्रति	हाँ		नहीं	
e.)	PAN CARD की प्रति	हाँ		नहीं	
f.)	सम्परीक्षित वित्तीय लेखे	हाँ		नहीं	
g.)	क्षेत्रीय ई.पी.एफ. कार्यालय अथवा ई.पी.एफ. ट्रस्ट के सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित कर्मचारियों का विवरण (**निम्न प्रारूप पर**)	हाँ		नहीं	

स्थानः

तिथिः

स्वामी / साझेदार / प्रबन्ध निदेशक / निदेशक के हस्ताक्षर एवं मुहर

कर्मचारियों का विवरण

क्रम सं.	कर्मचारी का नाम	इकाई में सेवायोजन की तिथि	यूनीवर्सल खाता संख्या (यू0ए0एन0)	वर्ष में जमा की गई भविष्य निधि धनराशि	जमा कराये जाने की तिथि एवं माह
कुल योग					

स्थानः

तिथिः

प्रमाणित करने वाले अधिकारी का हस्ताक्षर, नाम, पदनाम एवं मुहर सहित

वचन–पत्र

मैं ....(नाम) आयु लगभग ... वर्ष पुत्र श्री .... निवासी .... – अधोहस्ताक्षरी एतद्द्वारा निम्नवत् कथन करता हूँ:–

1 यह कि अधोहस्ताक्षरी सर्वश्री .... (नाम) जिसका पॅजीकृत कार्यालय ....(पता) एवॅ फैक्ट्री ....(पता) पर है, का स्वामी/साझेदार/प्रबन्ध निदेशक/निदेशक * है।

2 यह कि सर्वश्री .... द्वारा उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवॅ स्टार्ट–अप नीति–2016 में विहित व्यवस्थानुसार, कर्मचारी भविष्य निधि पर अनुदान की प्राप्ति हेतु आवेदन–पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है।

3 यह कि भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय की परिभाषा के अन्तर्गत आवेदक फर्म/कम्पनी/ प्रतिष्ठान* – सर्वश्री .... एक पूरक/सूक्ष्म/लघु* उद्यम है तथा कर्मचारी भविष्य निधि पर अनुदान हेतु आवेदन प्रस्तुत करते समय कार्यरत/ उत्पादनरत* थी तथा फर्म/कम्पनी/ प्रतिष्ठान* निरन्तर कार्यरत/ उत्पादनरत* रही है।

4 यह कि आवेदक फर्म/कम्पनी/प्रतिष्ठान* द्वारा केन्द्र सरकार/प्रदेश सरकार/वित्तीय संस्थान आदि* की किसी भी योजना के अन्तर्गत कर्मचारी भविष्य निधि पर अनुदान / प्रतिपूर्ति* प्राप्त नहीं की गई है।

5 यह कि अधोहस्ताक्षरी स्वयं तथा आवेदक फर्म/कम्पनी/प्रतिष्ठान* की ओर से वचन देता है कि उपरोक्त उद्घोषणा गलत अथवा असत्य अथवा भ्रामक पाये जाने की स्थिति में उपरोक्त उल्लिखित कार्यकलाप के लिए प्राप्त की गई पूर्ण धनराशि का भुगतान लिखित मॉग किये जाने से सात दिनों के अन्दर कर देगा एवं ऐसा कर पाने में असफल रहने पर शासन को अधिकार होगा कि वह प्रोत्साहन राशि की वसूली 15 प्रतिशत ब्याज सहित भू–राजस्व की भॉति कर ले।

स्थान आवेदक इकाई के स्वामी/साझेदार/प्रबन्ध निदेशक/निदेशक
तिथि

टिप्पणी * जो लागू न हो उसे काट दें।

अनुलग्नक–स

(सन्दर्भः शासनादेश सॅख्या 621/78–1–2016–25/2012 टी0सी0–2, दिनॉक 14–07–2016)

परिभाषायें

1 (अ) ''इकाई'' का तात्पर्य सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग/सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवाओं से सम्बन्धित ऐसी पूर्ण स्वामित्व वाली प्रोपराइटरशिप फर्म्स, कम्पनियों, समितियों एवं साझेदारी वाली नई इकाइयों से है जिनके द्वारा शासनादेश जारी होने की तिथि से 31 मार्च 2020 को समाप्त होने वाली अवधि के भीतर व्यवसायिक कार्यकलाप प्रारम्भ कर दिये गये हों।

(ब) ''एम.एस.एम.ई.(MSME) सूचना प्रौद्योगिकी/सू0प्रौ0 जनित सेवा उद्योग'' का तात्पर्य ऐसी सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम सूचना प्रौद्योगिकी/सू0प्रौ0 जनित सेवा क्षेत्र इकाइयों से है जिनका वार्षिक व्यवसाय (Turn-over) रु 25 करोड़ तक हो।

2 ''कम्पनी'' से तात्पर्य सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग/सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवा उद्योग से सम्बन्धित ऐसी कम्पनी से है, जिसका गठन कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत किया गया हो।

3 ''सोसायटी'' से तात्पर्य सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग/सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवा उद्योग से सम्बन्धित ऐसी सोसायटी से है, जिसका गठन सोसायटीज अधिनियम, 1860 के अन्तर्गत किया गया हो।

4 ''पार्टनरशिप'' से तात्पर्य ऐसी साझेदारी फर्म से है जिसका गठन भारतीय साझेदारी अधिनियम–1932 के अन्तर्गत किया गया हो।

5 ''वर्ष'' का तात्पर्य दिनॉक 01 अप्रैल से 31 मार्च की अवधि से है।

6 ''**सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग**'' के अन्तर्गत सम्मिलित हैं सूचना प्रौद्योगिकी हार्डवेयर, सूचना प्रौद्योगिकी/सूचना प्रौद्योगिकी जनित इकाइयॉ/ कम्पनियॉ इत्यादि। सूचना प्रौद्योगिकी इकाइयों/ कम्पनियों में सम्मिलित है सू0प्रौ0 एप्लीकेशेन्स (IT applications), सॉफ्टवेयर एवं सूचना प्रौद्योगिकी सेवायें। सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवाओं से अभिप्राय है बी0पी0ओ0/ के0 ।पी0ओ0/ परामर्शी (consulting)/'एनीमेशन (animation)', 'गेमिंग (gaming)' तथा अन्य ज्ञान उद्योग (knowledge industry)।

7 **सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के अन्तर्गत सन्निहित है, किन्तु यहीं तक सीमित नहीं :–**

- एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर (Application Software)
- आपरेटिंग सिस्टम – Operating System
- मिडिलवेयर / फर्मवेयर (Middleware/ Firmware)
- उक्त सॉफ्टवेयर में किसी भी अवयव (component) का विकास
- इन सॉफ्टवेयर की डिजाइन एवं गुणवत्ता सुनिश्चित करना
- प्रणाली का एकीकरण (System Integration Work)/सॉफ्टवेयर हेतु अवयव (component)
- सॉफ्टवेयर में कोई स्थानीय (Localization) एवॅ Supply Chain Management कार्य

- विस्तार विकास (Extension Development) (मुख्य सॉफ्टवेयर के बाहर के मॉड्यूल्स)

8 **सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं** का आशय उन सेवाओं से है जो किसी सूचना प्रौद्योगिकी उत्पाद में सूचना प्रौद्योगिकी सॉफ्टवेयर के माध्यम से उसका मूल्य संवर्द्धन करती है।
सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं में निहित है:–

- इन्टरनेट सर्विस प्रोवाइडर।
- ई–मेल सर्विस प्रोवाइडर।
- विश्वव्यापी वेब (World wide web) सर्विस प्रोवाइडर।
- ई–कामर्स तथा कन्टेन्ट डेवलपमेन्ट।
- इलेक्ट्रानिक डाटा इन्टरचेन्ज (EDI) सेवायें।
- वीडियो कान्फ्रेंसिंग।
- वी–सैट – आई.एस.डी.एन सेवायें।
- इलेक्ट्रानिक डाटा सेन्टर कार्यकलाप।

9 **सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवाओं** में वे सभी प्रकियायें एवं सेवायें सन्निहित हैं जो व्यापक व्यापारिक वर्ग को, टेलीकाम संचार तंत्र अथवा इन्टरनेट के माध्यम से प्रदान की जाती हैं जैसे मेडिकल ट्रॉसक्रिप्शन, लीगल डेटा बेस प्रोसेसिंग, सूचना प्रौद्योगिकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण, लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग, आईपीआर सर्विसेज, डिजिटल कन्टेन्ट डेवलपमेन्ट/ एनीमेशन, रिमोट मेन्टीनेन्स, बैक–आफिस आपरेशन्स – लेखा एवं वित्तीय सेवायें, इलेक्ट्रानिक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य परामर्श, बॉयो इन्फार्मेटिक्स, डेटा प्रोसेस्िंग तथा काल–सेन्टर आदि।

सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं में सन्निहित किन्तु यहीं तक सीमित नहीं:–

- बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेण्ट (BPM)।
- ग्राहकों से वार्तालाप से सम्बन्धित सेवायें (Customer Interaction Services) जैसे वार्तालाप/सम्पर्क केन्द्र (Call/Contact Centres) तथा ई–मेल, हेल्प–डेस्क।
- इन्जीनियरिंग एवं डिजाइन।
- बैक आफिस प्रोसेसिंग।
- वित्त एवं लेखा (रिमोट द्वारां)।
- बीमा दावों को निपटाने की प्रकिया – इंश्योरेन्स क्लेम प्रोसेसिंग (रिमोट द्वारा)
- मानव संसाधन सेवायें (रिमोट द्वारा)।
- वेबसाइट विकास एवं अनुरक्षण सेवायें (Website development & maintenance services)।
- डेटा सर्च, इन्टीग्रेशन एण्ड एनालिसिस (Data Search, Integration & Analysis) तथा नेटवर्क परामर्श एवं प्रबन्धन (Network consulting and Managment)।
- दूरस्थ शिक्षा (Remote Education)।
- एनीमेशन – (रिमोट द्वारा)।
- गेमिंग ।
- मार्केट रिसर्च (रिमोट द्वारा)।
- अनुवाद (Translation) , नकलनवीसी (Transcription) तथा स्थानीयकरण (Localization) (रिमोट द्वारा)।

- परामर्श (रिमोट द्वारा) सम्बन्धित विषयः–
  - सूचना प्रौद्योगिकी सेक्टर।
  - ई0आर0पी0 (Enterprise Resource Planning) जैसे SAP, ORACLE इत्यादि।
  - सी0आर0एम0 – ग्राहक सम्पर्क प्रबन्धन (Customer Relationship Management)।
  - एम0आर0एम0 – (Marekting Resources Management)।
  - तकनीकी सहायता (Technical Support)।
  - बिजनेस सिस्टम्स एण्ड प्रोसेसेज (Business Systems & Processes)।
- डेटा प्रोसेसिंग।
- सिस्टम इन्टीग्रेशन एण्ड कस्टमाइजेशन।
- सिस्टम अपग्रेडेशन सर्विसेज।
- डिजाइनिंग एवं डिजाइनिंग सिस्टम्स।
- काल सेन्टर्स।
  - वायस – इनबाउण्ड तथा आउटबाउण्ड – दोनों।
  - डेटा – इनबाउण्ड तथा आउटबाउण्ड – दोनों।
- सॉफ्टवेयर एक्सटेन्शन डेवलपमेण्ट।
- आईटी फेसिलिटीज मैनेजमेण्ट (रिमोट व्यवस्था सहित)।
- **'रिमोट द्वारा'** का तात्पर्य इन्टरनेट/दूरसंचार नेटवर्क के माध्यम से दूरस्थ स्थान पर सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवाओं की उपलब्धता से है।

10 "व्यवसायिक कार्यकलाप प्रारम्भ की तिथि" का तात्पर्य चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट से प्रमाणित, नये स्थायी पूँजी निवेश के माध्यम से निर्मित वस्तुओं एवं सेवाओं (Goods and Services) की बिक्री की प्रथम तिथि से है।

11 "कार्यदायी संस्था" अथवा "नोडल एजेन्सी" का तात्पर्य शासन द्वारा शासनादेश के माध्यम से "उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवॅ स्टार्ट–अप नीति–2016" के अन्तर्गत नामित कार्यदायी संस्था/नोडल एजेन्सी से है। शासन द्वारा यूपी इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि0 को कार्यदायी संस्था/नोडल एजेंसी नामित किया गया है।

12 नीति कार्यान्वयन इकाई (पी0आई0यू0) का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवॅ स्टार्ट–अप नीति–2016 के प्रस्तर 3.4.1 में पारिभाषित नीति कार्यान्वयन इकाई से है।